

9-5-708

District Profile:

S.No.	Name of district	Geographical area of district (in ha.)	Forest area of district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of approved cases	CA including Penal CA stipulated (in ha.)		Progress of CA (in ha.)	
						In forest land	In non-forest land	In forest land	In non-forest land
1	Pauri Garhwal	532900	70161.8	699.0593	190	351.7462	787.9092	351.7462	373.42

- Note:-
1. Area of 57 cases below 1 ha. is 25.0219 ha. for which no CA has been proposed.
 2. For diversion of 224.03 ha, CA was proposed in equivalent area.
 3. Updated progress can be given by Nodal Office as CA has been under their control since 2006-07


प्रमुख नगरपालिका
नगर, नगर नगर

परियोजना का नाम- गडहवाडी कुब्जाणी और मान का विस्तार (खंड 3.10 किमी)

प्रारूप-50

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

1. ईको-क्लास क्षेत्री Vth
2. हरियाली का घन्तव 0.4
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 8,45,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्र 1.080 है
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि ९,१२,६००.०० (रुपये नौ लाख अठ्ठास हजार छह सौ)

प्रभुसिंह बनाविकारी,
गडहवाडी वन प्रमोर्ग,
पोली

विद्युत ल. - 10

प्रारूप-7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from E.E. P.W.D. Baijro for diversion under FCA-1980) of 1.000 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of x Gadsame - Kulyane Motor Mary. K9. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 18-08-2015 Bastar

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 1.000 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. yes.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- not found any rare /endangered /unique species of flora and fauna in the area.

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- No

- a) ☒ The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) ☐ It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal

Recommended for acceptance in public interest

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

Place:- Pavri (Garhwal)

(Signature)

Date 18-08-2015

Name प्रभागीय वनाधिकारी

Designation सदवाल वन प्रभाग

Office Seal पौड़ी

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be

diverted.

xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

वि-3-11

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति जनपद पींडी गढ़वाल के अन्तर्गत गड़मारी कुल्यानी मोटर मार्ग का विस्तार

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला पींडी गढ़वाल

(iii) जिला वन प्रभाग गढ़वाल वन प्रभाग पींडी

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 1.080 हे०

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति: आरक्षित वन 2 कि० - 1.080 हे०

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार अप्रक्षित

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 0.4

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना पींडी एवं अंगार प्रजाति के विभिन्न ब्यास वर्ग के 84 वृक्ष संभावित हैं।

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा मोटर मार्ग निर्माण हेतु।

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण: क्षीणता की दृष्टि से अच्छा, प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण के कारण भूक्षरण का जोखिम कम है।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: अन्य कि०मी० 84 मीटर।

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता:

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: कुछ वन्य जीव विद्यमान हैं।

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्पन्न गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं-

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं-

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्न गलियारे आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं-

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं-

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं-

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें:

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। हां

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। -

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे:

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही -

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे:

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। (संलग्न नहीं है) संलग्न नहीं है

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। ग्राम सिकन्हाणी पट्टी - चौकान 3 तहसील कालीखण्ड जिला पींडी गढ़वाल के क्षेत्र नं० 469 मध्य 2.16 हे०

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। हां

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : रु 2,80,800.00

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल नरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

पौड़ी गढ़वाल

जगदित ने संस्तुति की जाती है।

तारीख:

18-08-2018

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

(रमेश चन्द)
प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी